न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन सिटी

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता, RAS.

प्रकरण संख्या :– 12/2025 GCMS No. 2025/26

परिवादी :–

1. श्री बाबुलाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डीडवाना–कुचामन (राज.)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री गोपाल कुमावत पुत्र केशाराम (खाद्य–कारोबारकर्ता) एवं मालिक निवासी न्यू पोस्ट ऑफिस के पास कुचामनसिटी मोबाईल नं. 9829163997
फर्म – मैसर्स केशुजी स्वीट्स, कुचामनसिटी।

" परिवाद अन्तर्गत धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 '

उपस्थिति :– अभियुक्त श्री गोपाल कुमावत ।

–:निर्णय :–

दिनांक :– 19/11/2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक श्री बाबुलाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीडवाना–कुचामन ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.03.2025 को समय 01:50 पी. एम. पर फर्म मैसर्स केशुजी स्वीट्स कुचामनसिटी पर पॅहुचा। वहां पर श्री गोपाल कुमावत पुत्र केशाराम मिले, श्री गोपाल कुमावत को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री गोपाल कुमावत ने स्वयं को मैसर्स केशुजी स्वीट्स कुचामनसिटी का खांद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रतियॉ प्रस्तुत की। निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध Cow Milk (Loose) 01 प्लास्टिक बाल्टी में लगभग 10 लीटर रखे है के मिथ्याछाप/अमानक का शक होने पर 2 लीटर Cow Milk (Loose) को खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक गोपाल कुमावत को सूचित करते हये वास्ते नमूना जॉच खरीदा किमी कीमत 120/- श्री गोपाल कुमावत को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:31 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियॉ तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिस पर गोपाल कुमावत एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर व सही मानकर अपने हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को उपलब्ध कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदसुदा Cow Milk (Loose) 04 साफ सुखी चौड़े प्लास्टिक बोतले दिखाकर उक्त खरीदसुदा Cow Milk (Loose) को चार बराबर–बराबर भागो में बांटकर चारो सुखे एवं खाली बोतलो में डाला एवं प्रत्येक में 40–40 बून्दे फार्मलिन की बतोर प्रिजरवेटिव डाली गई। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येग भाग पर डी.ओ.डीडवाना–कुचामन की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. AP-23 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागो के रेपर पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर सील बन्द चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया गया। मौके पर फर्द तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी अपने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं.6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई, जिसमें नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर अगल कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील कर मोहर कर खाद्य विशलषक अजमेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 के अग्र भाग पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर मु.चि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:31 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

डीडवाना–कुचामन को अगले कार्य दिवस में जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डीडवाना–कुचामन के पत्रांक/संस्था/एफएसएसए/2024–25/43 दिनॉक 22.04.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. LS/311/Act/2024/331 दिनांक 01.04.2025 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Cow Milk (Loose) का नमूना Substandard होना पाया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डीडवाना–कुचामन ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है। उक्त प्रकरण में श्री गोपाल कुमावत ने खाद्य पदार्थ Cow Milk (Loose) Substandard का विक्रय करके F.S.S.A. 2006 की धारा 3 (1) {zx} Substandard {Milk Fat 3.5% In Place of Result Minimum 4.5%}, धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है, जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. की धारा 51 में निर्धारित है। उक्त आवेदन पत्र के साथ खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति, Cow Milk (Loose) खरीद रसीद की प्रति, फर्द मौका रिपोर्ट की प्रति, फार्म सं. 5 ए की प्रति, फार्म नं. 6 की प्रति, खाद्य विशलेषक द्वारा खाद्य नमूना AP-23 की प्राप्ति रसीद की प्रति, अभिहित अधिकारी का पत्र की प्रति, अभियोजन संस्थित किये जाने की प्रति प्रस्तुत की है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डीडवाना–कुचामन द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण दिनॉक 05.06.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस जारी किया गया। अभियुक्त श्री गोपाल कुमावत पुत्र केशाराम कुमावत कुचामनसिटी ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि दिनॉक 19.0.2025 को करीबन 11.50 ए.एम. श्री बाबुलाल जी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स केशुजी स्वीट्स कुचामन में आकर दूध की जांच की गई जिसमें दूध का फैट 3.5% आया जबकि 4.5% फैट होता है अर्थात 1.5% फैट कम आया। जबकि वे गॉव के लोगो से गाय का दूध लेते है अर्थात गाय के दूध का फैट 4.5% होता है। भविष्य में ऐसी गलत दुबारा नही होगी, जिसके लिए वह सदैव पाबन्द रहेगा। इसी गलती दुबारा होने पर विभाग कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:31 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

प्रकरण में तथ्यों पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान अजमेर के **FORM- VII A** रिपोर्ट नं. L.S/311/Act/2025/331 दिनांक 01.04.2025 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:–

Opinion- The sample of **Milk** bearing Code No. and Sr. No **AP-23** of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Didwana-Kuchaman **Contains low Milk Fat** than the prescribed standards **Reg. No. 2.1.8** and provision of Food Safety and Standards (Food products standards and food Additive) Regulations, 2011 **hence it is declared Substandard** under section **3(1)(a)(zx)** of Food Safety and Standards Act-2006

अतः खाद्य कारोबारकर्ता श्री गोपाल कुमावत से वास्ते क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Cow Milk (Loose) नमूना नं. **AP-23** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पदनामित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डीडवाना कुचामन के कोड **AP-23** वाले दूध के नमूने में निर्धारित मानको (विनियम क्रमांक 2.1.8) एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योजक) विनियम, 2011 के प्रावधानो की तुलना में **कम दूध वसा** पाई गई है, इसलिये इसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा **3(1)(a)(zx)** के अन्तर्गत घटिया घोषित किया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में निर्धारित है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26, उपधारा 2(v) एंव 58 इस प्रकार है:–

धारा 26:– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्व:–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का:–

(v) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंघन में, स्वयं विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगाा या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं कराएगा।

धारा–58

जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्ही भी उपबंधों का उल्लंघन करता है, उसके लिए इस अध्याय में कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:31 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

पृथक शास्ति उपबंधित नहीं है, शास्ति का, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीडवाना—कुचामन के पत्र क्रमांक चिकि/एफएसएसए/जा.रि/2025—26/43 दिनांक 22.04.2025 से खाद्य कारोबारकर्ता को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है, किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। कोड **AP-23** वाले दूध के नमूने में निर्धारित मानको (विनियम क्रमांक 2.1.8) एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योजक) विनियम, 2011 के प्रावधानो की तुलना में **कम दूध वसा** पाई गई है, इसलिये इसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम—2006 की धारा **3(1)(a)(zx)** के अन्तर्गत घटिया घोषित किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(a)(zx)** का उल्लंघन पाया गया। जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। इस प्रकार Cow Milk (Loose) में खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु फर्म— मैसर्स केशुजी स्वीट्स कुचामनसिटी विक्रेता एंव मालिक श्री गोपाल कुमावत पुत्र केशाराम जाति कुमावत निवासी न्यू पोस्ट ऑफिस के पास कुचामनसिटी दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 58 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क—4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत अभियुक्त फर्म— मैसर्स केशुजी स्वीट्स कुचामनसिटी विक्रेता एंव मालिक श्री गोपाल कुमावत पुत्र केशाराम जाति कुमावत निवासी न्यू पोस्ट ऑफिस के पास कुचामनसिटी पर राशि रुपये 11000/—(अक्षरे रुपये ग्यारह हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अभियुक्त को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डीडवाना—कुचामन को भेजी जावे। अभियुक्त से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डीडवाना—कुचामन के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:31 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

प्रस्तुत करें। यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीडवाना–कुचामन इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे।

आदेश दिनांक 19/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कुचामन सिटी

(राकेश कुमार गुप्ता)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, कुचामनसिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:31 IST
Reason: SelfAttested